

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 204]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 मई 2015—ज्येष्ठ 7, शक 1937

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मई 2015

क्र. एफ-19-21-2014-बारह-2.—मध्यप्रदेश गोण खनिज नियम, 1996 के नियम 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, जिला ग्वालियर, भिण्ड, दतिया, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, हरदा, देवास, टीकमगढ़, जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, उमरिया, सतना, धार, खरगौन, खण्डवा तथा बड़वानी के समस्त रेत धारित क्षेत्रों को मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड के पक्ष में समुपयोजन हेतु आरक्षित करती है।

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

No. F-19-21-2014-XII-2.—In exercise of the powers conferred by Rule 13 of the Madhya Pradesh Minor Minerals Rules 1996, the State Government, hereby reserves all sand minerals bearing areas of District Gwalior, Bhind, Datia, Hoshangabad, Raisen, Sehore, Harda, Dewas, Tikamgarh, Jabalpur, Narsingpur, Katni, Umariya, Satna, Dhar, Khargone, Khandwa and Barwani for exploitation in favour of the Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरुण राठी, उपसचिव।